अपील सूचना अधिकार संख्या 57/2016 अनवानी श्री दिनेशकुमार गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल 32 इंदिरा कॉलोनी, गुरूद्वारा रोड वार्ड 5 सादुलशहर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17–01–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री हरिकृष्ण कांदीवाल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 22.02.2016 के द्वारा 3 बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर से चाही थी उनके द्वारा बिना किसी वैधानिक आधार के मनमाने ढंग से सूचना उपलब्ध करवाने से ईन्कार किया गया है। जिस प्रकार से सूचना चाही गई है उसी प्रकार से सूचना लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर वांछित सूचना निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 22.02.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर से निम्न सूचनांए चाही थी:–

1. निर्वाचक नामावली 2015 नगरपालिका सादुलशहर, वार्ड संख्या 5, भाग संख्या 1 अंतिम प्रकाशन की तिथि 20/07/2015 में 1 जनवरी 2015 से अंतिम प्रकाशन की तिथि 20/07/2015 के मध्य कुल कितने वोट निर्वाचक नामावली में जोड़े गये।
2. निर्वाचक नामावती 2015, नगरपालिका सादुलशहर, वार्ड संख्या 5, भाग संख्या 1, अंतिमम प्रकाशन की तिथि 20/07/2015 में 1 जनवरी 2015 से अंतिम प्रकाशन की तिथि 20/07/2015 के कुल कितने वोट निर्वाचक नामावली में जोडे गये। कुल जोडे गए मतो में कितने मत नये/स्थानान्तरित/संशोधित (न्यू/ट्रान्सफर/शिफट/करेक्शन) कर निर्वाचक नामावली में जोडे गए। निर्वाचक नामावली में जोडे गए समस्त मतो की सम्पूर्ण ब्योरे सहित प्रमाणित प्रति देवें। (यथा नाम, पिता का नाम, आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक व आवेदन पत्र का प्रारूप)
3. निर्वाचक नामावली 2015, नगरपालिका सादुलशहर, वार्ड सं0 5, भाग संख्या1, अंतिम प्रकाशन की तिथि 20.07.2015 पृष्ठ संख्या 36, लैडमार्क रमेशचन्द्र के मकान, सादुलशहर के निम्नलिखित क्रम संख्या के मतदाताओ के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करवाने हेतु/करने हेतु किस निर्वाचन अधिकारी ने स्वीकृति दी। अधिकारी का नाम, पद नाम बताये।

क्र0सं0	नाम	पति/पिता का नाम	मकान	लिंग	उम्र
792	सरोज	सुरेशकुमार	213	महिला	58
796	पवनकुमार	सुरेशकुमार	213	पुरूष	32
797	आशीषकुमार	सुरेशकुमार	213	पुरूष	30

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर ने अपना प्रतिवेदन सं0 349 दिनांक 18.04.2016 प्रस्तुत कर प्रार्थना की गयी है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई बिन्दु सं0 1 व 3 की सूचना प्रश्नात्मक है और बिन्दु सं0 2 की सूचना तैयार कर दी जानी है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी सूचना चाही थी जिस पर फोरमेट–ई की प्रमाणित प्रति रजि0 पत्रांक 120 दिनांक 03.02.2016 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई थी। इस अपील से संबंधी प्रार्थना पत्र का जबाब भी पत्र सं0 196 दिनांक 02.03.2016 के द्वारा भिजवा दिया गया था। अतः अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर ने पत्र सं0 196 दिनांक 02.03.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर भिजवाया गया है:–

> आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2016 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियन्त्रण के अधीन संधारित अभिलेखो की प्रतियां जिस रूप में संधारित है उसी रूप में देने से है। अधिनियम की की मंशा के अनुरूप खोजे गये तथ्यो के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना अथवा प्रश्न पूछा जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
>
> सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। परन्तू सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

अपील के सन्दर्भ में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर द्वारा पत्र सं0 349 दिनांक 18.04.16 के द्वारा निम्न प्रकार से जबाब प्रस्तुत किया है:–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री दिनेश कुमार गोयल द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत तीन बिन्दुओ पर सूचना चाही गई थी। जिसमें से बिन्दु संख्या 1 में उसके द्वारा प्रश्न पूछा गया है। बिन्दु संख्या 2 में सूचना सम्पूर्ण ब्यौरा सहित मांगी है यानि सूचना तैयार (generate) कर दी जानी है यथा नाम, पिता का नाम, आवेदन पत्र की प्राप्ति दिनांक व आवेदन पत्र का प्रारूप। बिन्दु सं,या 3 में भी उसके द्वारा प्रश्न पूछा गया है।
>
> खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना अथवा प्रश्न पूछा जाना सूचना के अधिकार के तहत दिया जाने का प्रावधान नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है।
>
> उक्त सूचना सं संबंधित ही पूर्व में भी अपीलार्थी ने सूचना चाही थी इस हेतू अपीलार्थी द्वारा चाहे गये बिन्दुओ पर सूचना के तौर पर कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार केवल फोर्मेट–ई की प्रमाणित प्रति ही दी जा सकती थी जो कि इस कार्यालय के पत्रांक क्रमांक/निर्वा/2016/129 दिनांक 03.02.2016 द्वारा सलंग्न कर जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी द्वारा दिये गये पते पर भिजवा दी गई थी जिसकी छाया प्रतियां सलंग्न है।
>
> श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी श्री दिनेश कुमार को समयावधि में कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी तथा इस अपील से संबंधित प्रार्थना पत्र पर भी श्री दिनेश कुमार को समयावधि में इस कार्यालय के पत्रांक क्रमांक/सू.का.अधि./2016/196 दिनांक 02.03.2016 द्वारा जबाब भिजवा दिया गया था। अतः अपील अपीलार्थी को खारिज फरमाया जावे।

स्टा.ना./ जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

P.T.O.

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर से चाही गई बिन्दु सं0 1 की सूचना उनके प्रतिवेदन दिनांक 18.04.16 अनुसार प्रश्नात्मक है। इसलिए उनके द्वारा इस बिन्दु के संबंध में दिया गया उत्तर सही है। जहां तक बिन्दु सं0 2 का संबंध है इसमें जोडे गये, स्थानान्तरण किये गये मतदाताओ के नाम पता जिस प्रकार से रजिस्टर में या सूचि में दर्ज हो, की प्रतिलिपि दी जावे। बिन्दु सं0 3 के संबंध में जो सूचना फोर्मेट ई में दी गयी है उसमें भी मतदाताओ के नाम स्थानान्तरण करने की स्वीकृति की सूचना उपलब्ध अभिलेख के अनुसार नियमानुसार दी जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार आंशिक स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। २५४-५५ / ३०-१-१७

आदेश आज दिनांक 17.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर